अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
विद्युत भवन,हाथी भाटा,जयपुर रोड़,अजमेर–305001

No - 3758
क्रमांकः अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि/अ.अ (योजना)/प. /प्रे. दिनांक 26 OCT 2002

आदेश – 489.

विषय : कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा के सम्बन्ध में।

निगम द्वारा जनहित में कृषि के उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए लोड़ की स्वैच्छिक धोषणा करने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक आर.ई. अज–35 दिनांक 18 जून,2002 द्वारा 15 सितम्बर,2002 तक का समय निर्धारित किया गया था।

समन्वय समिति की दिनांक 4 अक्टूबर,2002 की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार, कृषि उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए लोड की स्वैच्छिक घोषणा करने की समयावधि दिनांक 15.11.2002 तक बढ़ायी जाती है। बढ़े हुए लोड के चार्जेज एवं अन्य शर्ते जो आदेश क्रमांक आर.ई. अज–14 प्रे. 4052 दिनांक 22.10.2001 में वर्णित है में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

जो कृषक अपने बढ़े हुए लोड की स्वयं धोषणा करेगा उसे 750/– रू. (सात सौ पचास) प्रति हार्स पावर (जिससे सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल है) घोषणा के साथ जमा कराने होंगें। आवश्यक होने पर नई 11 के.वी. लाइन एवं सब –स्टेशलन का खर्चा निगम वहन करेगा। ऐसे उपभोक्ताओं की श्रेणी में बदलाव (फ्लेट से मीटर प्रणाली) दूसरे समकक्ष उपभोक्ता के बदलाव तक नहीं किया जायेगा ।

यह राहत दिनांक 15.11.2002 तक आवेदन करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जायेगी। इस दौरान विजिलेंस चैकिग होने पर तथा अधिक लोड पाये जाने पर भी मात्र 750/– रू. प्रति हार्स पावर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल है) जमा करवाने होगें व बढ़ा हुआ भार नियमन किया जायेगा। 15.11.2002 के पश्चात् विजिलेंस चैकिंग के दौरान अधिक लोड पाये जाने पर बढ़े हुये लोड के लिये रू. 3450/– प्रति हार्स पावर (2000 रू. प्रति हार्स पावर कम्पनसेंसन चार्जेज तथा 1450 रू. प्रति

हार्सपावर ट्रांसफार्मेशन चार्जेज) एवं सम्पूण लाईन चार्जेज, उपभोक्ता से लिये जावेंगें तथा साथ ही फ्लेट से मीटर प्रणाली की विद्युत दर लागू की जाएगी। दिनांक 15.11.2002 के पश्चात उपभोक्ता द्वारा स्वयं लोड बढ़ाने के आवेदन पर सम्पूर्ण लाइन के आधे चार्जेज तथा 1450/– रू. प्रति हार्स पावर चार्जेज लिए जायेंगे।

26-x-02

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
4. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (पवस/वाणिज्य/सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि, ...
5. अधीक्षण अभियन्ता (   ), अ.वि.वि.नि.लि, ...
6. उपसचिव (प्रशा. एवं का.–।/ ।।),अविविनिलि, अजमेर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ...
8. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

26.10.2002

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

50/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular